कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.

क्रमांक / 50 / सूचना का अधिकार / 2013 खण्डवा, दिनांक–23 / 01 / 2013

प्रति,

श्री लोभीराम हरिओम यादव
मार्फत मंथन अध्ययन केन्द्र
दशहरा मैदान बडवानी

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अतंर्गत जानकारी बाबत।

संदर्भ :– 1. आपका आवेदन पत्र दिनांक–03 / 01 / 2013
2. कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा का पत्र क्रमांक–934 दिंनाक–14 / 01 / 13

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी में इस कार्यालय में उपलब्ध जानकारी संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :– बिन्दु क्रमांक–02 एवं 03 की जानकारी

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण,
खण्डवा म.प्र.

पृ.क्रमांक / 51 / सूचना का अधिकार / 2013 खण्डवा, दिनांक–23 / 01 / 2013

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर पूर्व निमाड खण्डवा की ओर उनके संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण,
खण्डवा म.प्र.

कार्यालय
जिला शहरी विकास अभिकरण पूर्व निमाड़, खंडवा.

नस्ती क्रमांक ....

विषय नर्मदा जल दावे आपत्तियाँ तकनीकी समिति गठन

प्रभारी अधिकारी श्री लोहट / P.O.

शाखा ....

लिपिक का नाम ....

विषय :- **UIDSSMT एवं जननिजी-भागीदारी (PPP) योजना अंतर्गत नर्मदा जलप्रदाय योजना**

संदर्भ :- **आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा का पत्र कमांक-358 दिंनाक-27/12/2012**

--------0000-------

- प्रतिवेदन है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा **UIDSSMT एवं जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) योजना** में कियान्वित खण्डवा शहर की जलावर्धन योजना हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा पत्र कमांक-290 दिनांक-03/12/2012 द्वारा वॉटर मिटरिंग एवं नल संयोजन नियमितिकरण नियम 2012 की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना जारी करने की दिनांक से 30 दिवस पूर्ण होने तक आपत्तियां/दावें या सुझाव लिखित में नगर पालिक निगम द्वारा मांगे गये थे।

- समय सीमा में नगर पालिक निगम खण्डवा को विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दल, नर्मदा संघर्ष समिति एवं अन्य नागरिकों द्वारा 4725 लिखित रूप से दावे/आपत्तियॉ प्राप्त हुये है, **जो नगर पालिक निगम खण्डवा एवं विश्वा कंपनी के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये है।** जिनका समय सीमा में नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा निराकरण किया जाना है।

- संदर्भित पत्र के माध्यम से आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा उक्त दावों/आपत्तियॉ के समय सीमा में निराकरण किये जाने हेतु **श्रीमान कलेक्टर महोदय की ओर से तकनीकी समिति का गठन** किये जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया है।

- अतः नस्ती अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रस्तुत।

आयुक्त न० नि० खण्डवा द्वारा नर्मदा जल पर प्रस्तुत 4725 लिखित शिकायतों के लिए तकनीकी समिति हेतु नाम नामांकित हेतु नस्ती प्रस्तुत।

लिपिक/- 29/12/12

ए.पी.ओ./-

29/12/12

PO

आयुक्त नगर निगम खण्डवा

A p notseet

कार्यालय

जिला शहरी विकास अभिकरण पूर्व निमाड़, खंडवा.

नस्ती क्रमांक .... नर्मदा जल
विषय .... तकनिकी समीति गठन

प्रभारी अधिकारी .... श्री बोथरा DUPO
शाखा .... योजना
लिपिक का नाम .... मुकलिया

के पत्र अनुसार नर्मदा जल प्रदाय योजना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तकनिकि समिति का गठन करने का निवेदन किया है।

अतः पत्र अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत

कार्य. महो.

शासन को प्रस्ताव

स्वतंत्र समिति गठन

हेतु भेजें।

29.12

6186
29/12/12

OE

DUDA

निर्देशानुसार पत्र तैय्यार कर

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

31/12/12

PO

कार्य. महो.

6212
31-12-12

PO.

DUDA

31.12

कार्यालय कलेक्टर,(शहरी विकास) जिला—खंडवा, म0प्र0

क्रमांक———08 / योजना / 2013 खंडवा, दिनांक 04.01.2013

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भोपाल ।

विषयः— UIDSSMT एंव जननिजी भागीदारी (PPP) योजना अंतर्गत नर्मदा जल प्रदाय योजना खण्डवा अंतर्गत अधिसूचना में प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण हेतु स्वतंत्रा समिति का गठन किये जाने बाबत ।

संदर्भः— आयुक्त,नगर पालिक निगम, खण्डवा का पत्र क्रमांक UIDSSMT/358/2012 खण्डवा दिनांक 27.12.2012

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा UIDSSMT एंव जननिजी भागीदारी (PPP) योजना में क्रियान्वित खण्डवा शहर की जलावर्धन योजना हेतु दिनांक 3.12.2012 द्वारा वाटर मिटरिंग एवं नल संयोजन नियमितिकरण नियम 2012 की अधिसूचना जारी की थी । अधिसूचना जाहरी करने के दिनांक से 30 दिवस पूर्ण होने तक आपत्तियॉ / दॉवें या सुझाव लिखित में मांगे गये थें । उक्त समय सीमा में विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों, नर्मदा संघर्ष समिति एवं अन्य नागरिकों द्वारा कुल लगभग 10000 लिखित रूप से दॉवे / आपत्तियॉ एवं सुझाव प्राप्त हुये हैं जो नगर पालिक निगम, खण्डवा एवं विश्वा कंपनी के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये है । जिनका समय—सीमा में निराकरण किया जाना आवश्यक है ।

चूँकि दावे आपत्तियॉ कंपनी एवं निगम के विरूद्ध है, इसलिये इनका निराकरण निगम द्वारा किये जाने से इसे बाद में प्रश्नांत किया जावेगा और आपत्तियॉ की जा सकती है क्योंकि नगर निगम स्वंय ही हितबद्ध पक्षकार है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त दावें / आपत्तियों एवं सुझावों के निराकरण हेतु शासन स्तर से स्वतंत्र समिति का गठन करने का कष्ट करें ।

संलग्न— उपरोक्तानुसार ।

3.1.13

(नीरज दुबे)
कलेक्टर,
जिला—खण्डवा
दूरभाष क्रमांक—0733—2224153

पृष्ठा0 कमांक---------09/योजना/2013
प्रतिलिपि :-

खंडवा, दिनांक 04.01.2013

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल ।
2, मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर,
जिला-खण्डवा
दूरभाष क्रमांक--0733--2224153

कार्यालय नगर पालिक निगम खण्डवा

E-mail ID:- narmadajalknw@yahoo.com Fax no. 0733-2226637

क्रमांक :–UIDSSMT/WS 414/2013 खण्डवा दिनांक 1/5/2013

प्रति,

श्री लोभीराम हरिओम यादव
मंथन अध्ययन केन्द्र,
दशहरा मैदान बडवानी, म.प्र.

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बाबत्।
संदर्भ :– कलेक्टर कार्यालय पत्र क्रमांक–क/सू0का अधि0/932/2013 दिनांक–14.01.2013

::——::

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत बिन्दू क्रमांक–01 –(नगर निगम द्वारा कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित पत्र/प्रस्ताव की संलग्नको समस्त छायाप्रतियॉ) के अन्तर्गत चाहे गये प्रपत्रो की सत्य प्रतिलिपियॉ संलग्न कर (संख्या –) प्रेषित हैं।

के.एम.सी.इन्जीनियर
नगर पालिक निगम खण्डवा

प्रतिलिपी –

1. लोक सूचना अधिकारी , कलेक्टोरेट जिला खण्डवा।

के.एम.सी.इन्जीनियर
नगर पालिक निगम खण्डवा

Adesh letter Pad

कार्यालय नगर पालिक निगम खण्डवा(म.प्र.)

E-mail ID : narmadajalknw@yahoo.com Fax no. 0733-2226637

क्रमांक – UIDSSMT/358/2012 खण्डवा दिनांक 27/12/2012

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
पूर्व निमाड़ जिला खण्डवा

विषय :– UIDSSMT एवं जननिजी –भागीदारी (PPP) योजना अंतर्गत नर्मदा जलप्रदाय योजना की अधिसूचना में प्राप्त दावे आपत्ति के निराकरण हेतु तकनीकी समिति गठन बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी. एवं जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) योजना में क्रियान्वित खण्डवा शहर की जलावर्धन योजना हेतु पत्र क्रमांक 290 दिनांक 3 /12/2012 द्वारा वॉटर मिटरिंग एवं नल संयोजन नियमतिकरण नियम 2012 की अधिसूचना जारी की गई है । अधिसूचना प्रारूप जारी करने की दिनांक से 30 दिवस तक पूर्ण होने पर आपत्तियों/दावें या सूझाव लिखित में मांगे गये हैं । अब तक शहर के विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दल, नर्मदा संघर्ष समिति एवं अन्य नागरिकों द्वारा दोपहर 3:00 तक 4725 लिखित रूप से दावे/आपत्तिया प्रस्तुत किये गये हैं । सभी दावे/आपत्तियों का निराकरण समय सीमा में किया जाना है। नगर पालिक निगम खण्डवा एवं विश्वा कंपनी के विरूद्ध दावे आपत्तिया प्रस्तुत की गई है। जिसका निराकरण तकनीकी समिति से करवाया जाना उचित है। अतः तकनीकी समिति का गठन संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रस्ताव सादर प्रेषित है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम खण्डवा

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सादर प्रेषित कर अनुरोध है कि, वरिष्ठ तकनीकी अभियंता को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम खण्डवा

Adesh-Sandeep

TRUE COPY

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

कार्यालय कलेक्टर,(शहरी विकास) जिला–खंडवा, म0प्र0

क्रमांक 1075-08 / योजना / 2013 — खंडवा, दिनांक 04.01.2013

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भोपाल ।

विषयः– UIDSSMT एंव जननिजी भागीदारी (PPP) योजना अंतर्गत नर्मदा जल प्रदाय योजना खण्डवा अंतर्गत अधिसूचना में प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण हेतु स्वतंत्रा समिति का गठन किये जाने बाबत ।

संदर्भः– आयुक्त,नगर पालिक निगम, खण्डवा का पत्र क्रमांक UIDSSMT/358/2012 खण्डवा दिनांक 27.12.2012

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा UIDSSMT एंव जननिजी भागीदारी (PPP) योजना में क्रियान्वित खण्डवा शहर की जलावर्धन योजना हेतु दिनांक 3.12.2012 द्वारा वाटर मिटरिंग एव नल संयोजन नियमितिकरण नियम 2012 की अधिसूचना जारी की थी । अधिसूचना जाहरी करने के दिनांक से 30 दिवस पूर्ण होने तक आपत्तियॉ / दॉवें या सुझाव लिखित में मांगे गये थें । उक्त समय सीमा में विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों, नर्मदा संघर्ष समिति एवं अन्य नागरिकों द्वारा कुल लगभग 10000 लिखित रूप से दॉवे / आपत्तियॉ एवं सुझाव प्राप्त हुये हैं जो नगर पालिक निगम, खण्डवा एवं विश्वा कंपनी के विरूद्व प्रस्तुत किये गये है । जिनका समय–सीमा में निराकरण किया जाना आवश्यक है ।

चूॅकि दावे आपत्तियॉ कंपनी एवं निगम के विरूद्ध है, इसलिये इनका निराकरण निगम द्वारा किये जाने से इस बाद में प्रश्नांत किया जावेगा और आपत्तियॉ को जा सकती है क्योंकि नगर निगम स्वंय ही हितबद्ध पक्षकार है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त दावें / आपत्तियों एवं सुझावों के निराकरण हेतु शासन स्तर से स्वतंत्र समिति का गठन करने का कष्ट करें ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।

3.1.13

(नीरज दुबे)
कलेक्टर,
जिला–खण्डवा
दूरभाष क्रमांक–0733–2224153

TRUE COPY
KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

पृष्ठा0 क्रमांक————09 / योजना / 2013
प्रतिलिपि :—

खंडवा, दिनांक 04.01.2013

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल ।
2, मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर,
जिला—खण्डवा
दूरभाष क्रमांक—0733—2224153

TRUE COPY

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

प्रपत्र–3

आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी सूचना

कार्यालय कलेक्टर, जिला–खण्डवा

क्रमांक / क / सू0का अधि0 / /2013/ खंडवा, दिनांक /01/2013

प्रति

परियोजना अधिकारी,
जिला शहरी विकास अभिकरण
खण्डवा ।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बाबत ।

–0–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत श्री लोभीराम हरिओम यादव मार्फत मंथन अध्ययन केन्द्र दशहरा मैदान रोड बडवानी व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03/1/2013 के परीक्षण उपरांत बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 की विषय वस्तु आपके विभाग से संबंधित पाए जाने के कारण निर्धारित समयावधि में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है। आवेदक को समयावधि में वांछित जानकारी प्रदाय करनें की कार्यवाही करें एवं इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्नः-- मूल आवेदन पत्र।

लोक सूचना अधिकारी ,
कलेक्टोरेट, जिला–खंडवा

क्रमांक / क / सू0का अधि0 / 935 /2013/ खंडवा, दिनांक 14/01/2013

प्रतिलिपिः–

1/ श्री लोभीराम हरिओम यादव मार्फत मंथन अध्ययन केन्द्र दशहरा मैदान रोड बडवानी की ओर उनके पत्र दिनांक 03/1/2013 के संबंध में सूचित किया जाता है कि आपके व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी का बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 परियोजना अधिकारी,जिला शहरी विकास अभिकरण खण्डवा । से संबंधित होनें के कारण उन्हें अंतरित कर दिया गया है। अतः आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी ,
कलेक्टोरेट,जिला–खंडवा

Appln dt - 3.1.2013

प्रपत्र–3

आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी सूचना
कार्यालय कलेक्टर, जिला–खण्डवा

क्रमांक / क / सू0का अधि0 / / 2013 / खंडवा, दिनांक / 01 / 2013

प्रति

आयुक्त,
नगर निगम
खण्डवा ।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बाबत ।

–0–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत श्री लोभीराम हरिओम यादव मार्फत मंथन अध्ययन केन्द्र दशहरा मैदान रोड बडवानी व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03/1/2013 के परीक्षण उपरांत विषय वस्तु आपके विभाग से संबंधित पाए जाने के कारण निर्धारित समयावधि में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है। आवेदक को समयावधि में वांछित जानकारी प्रदाय करनें की कार्यवाही करें एवं इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्नः– मूल आवेदन पत्र।

लोक सूचना अधिकारी ,
कलेक्टोरेट, जिला–खंडवा

क्रमांक / क / सू0का अधि0 / 933 / 2013 / खंडवा, दिनांक 14 / 01 / 2013

प्रतिलिपिः–

1/ श्री लोभीराम हरिओम यादव मार्फत मंथन अध्ययन केन्द्र दशहरा मैदान रोड बडवानी की ओर उनके पत्र दिनांक 03/1/2013 के संबंध में सूचित किया जाता है कि आपके व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी आयुक्त नगर निगम खण्डवा से संबंधित होनें के कारण उन्हे अंतरित कर दिया गया है। अतः आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी ,
कलेक्टोरेट,जिला–खंडवा

Appln Dt. 3.1.2013